न्यायालय अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, सिकरहना (ढ़ाका), पूर्वी चम्पारण

घोड़ासहन थाना कांड संख्या– 316 / 19

19.11.19

काराधीन अभियुक्त वैभव कुमार उर्फ विभो की ओर से दाखिल दिनांक 18.11.2019 के जमानत आवेदन को चालित करते हुए इनके विद्वान विधिज्ञ श्री सुशील कुमार का कहना है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा कोई अपराध कारित नहीं किए है। इनका यह भी कहना है कि घोड़ासहन थाना कांड संख्या 322 / 19 के नामजद अभियुक्त रामबाबू साह के संस्वीकृति ब्यान के आधार पर इन्हें इस कांड में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। तथा सूचक द्वारा प्राथमिकी में इन्हें अभियुक्त नहीं बनाया गया है। जबकि प्राथमिकी अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत हुयी है। इनका यह भी कहना है कि लुट का रूपया या कोई शस्त्र अभियुक्त के पास से बरामद नहीं किया गया है और न ही इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनका यह भी कहना है कि अभियुक्त दिनांक 14.10.2019 से कारा में है। अतः जमानत पर मुक्त किया जाय।

प्रतिउत्तर में अभियोजन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है। उभय पक्षों को सुना।

चूंकि प्राथमिकी धारा 392 भा.दं.वि. के तहत अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत हुयी है जो अजमानतीय तथा संगीन अपराध है। घोड़ासहन थाना कांड संख्या 322 / 19 के नामित अभियुक्त रामबाबू साह के संस्वीकृति ब्यान के आधार पर इन्हें अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त दिनांक 14.10. 2019 से कारा में है। वाद अनुसंधान में चल रहा है।

अतः अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्त वैभव कुमार उर्फ विभो की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी
सिकरहना स्थित ढ़ाका, पूर्वी चम्पारण।
दिनांक 19.11.2019